छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 2009

(श्रावण-8, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 तथा 07 से 09 (कुल 8) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न क्रमांक 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 4 तारांकित प्रश्न एवं 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का परफार्मेंस बजट,

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-

(i) एफ-10-51/2008/वाक/पांच (40) दिनांक 26 जून 2008 एवं

(ii) एफ-10-20/2008/वाक/पांच (31) दिनांक 30 मई 2009,

(3) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खंड (4) तथा 243 म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि- आज की कार्यसूची में 36 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (6) तक की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री के उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में पटेवा-जुरलाखुर्द मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीर धाम विकासखण्ड सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत दानी घटोली में उपयंत्री व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बिलासपुर से मोपका मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने जिला रायपुर विकासखण्ड अभनपुर के ग्राम छछानपैरी की चारागाह की जमीन का क्रय-विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा में गड़बड़ी किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने जिला बस्तर में मलेरिया से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

7. डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ शक्राजीत नायक
8. श्री मोहम्मद अकबर
9. श्री भोलाराम साहू
10 श्री रामजी भारती
11. सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह
12. सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह
13. श्री गुरुमुख सिंह होरा
14. सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह
15. श्री महंत रामसुंदर दास
16. डॉ. (श्रीमती)रेणु जोगी
17. श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
18. डॉ. शक्राजीत नायक
19. श्री नंदकुमार पटेल
20. डॉ. शक्राजीत नायक
21. श्री देवजी पटेल
22. सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह
23. श्री रविन्द्र चौबे
24. डॉ. शिव कुमार डहरिया, श्री रविन्द्र चौबे, श्री मोहम्मद अकबर
25. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
26. श्री ताम्रध्वज साहू
27. श्री प्रतिमा चंद्राकर
28. श्री दूजराम बौद्ध
29. श्री गुरु रूद्र कुमार, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
30. सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, राजू क्षत्रिय
31. श्री गुरुमुख सिंह होरा
32. श्री लेखराम साहू
33. डॉ. हरिदास भारद्वाज
34. श्री सौरभ सिंह
35. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री मोहम्मद अकबर
36. श्री हृदयराम राठिया

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री नंदकुमार पटेल
(4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
(5) श्री मोहम्मद अकबर
(6) श्री भोलाराम साहू
(7) श्री दूजराम बौद्ध
(8) श्री रामदयाल उइके
(9) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
(10) श्री रामदेव राम
(11) श्री अमरजीत भगत
(12) श्री रविन्द्र चौबे
(13) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
(14) श्री गुरुमुख सिंह होरा
(15) श्री रामपुकार सिंह
(16) श्री लेखराम साहू
(17) डॉ.सुभाऊ कश्यप
(18) श्री मदनलाल साहू
(19) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
(20) श्री शिवराज सिंह उसारे
(21) श्री संतोष बाफना
(22) श्री ह्दय राम राठिया
(23) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री नंदकुमार पटेल, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम से तीसवां प्रतिवेदन पटल पर रखा।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
(2) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
(3) श्री सौरभ सिंह
(4) श्री बोधराम कंवर
(5) श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम
(6) श्री ह्दय राम राठिया
(7) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
(8) श्री लेखराम साहू
(9) श्री दूजराम बौद्ध

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 7 तक का कार्य पूर्ण होने एवं अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पुर:स्थापित किया ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

9. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह पावस सत्र दिनांक 20 जुलाई को आरंभ हुआ, इस सत्र के कुल 08 कार्य दिवसों में हमने निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्यों को पूर्ण किया । मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस मानसून सत्र का समापन अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है । यद्यपि इस पावस सत्र के शुरूआती दिवसों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई, किन्तु मुझे इस बात का संतोष भी है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आपसी समन्वय के माध्यम से सदन के गतिरोध को समाप्त करने में मुझे अपना अधिकतम सहयोग दिया ।

आप सभी इस तथ्य से भिज्ञ हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एक मात्र स्थान होता है और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परंपराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है और यही

संसदीय प्रणाली की सफलता का प्रमुख कारक है । आपके कार्य एवं व्यवहार पर ही राज्य की प्रगति और प्रतिष्ठा एवं इस सर्वोच्च पंचायत की गरिमा निर्भर करती है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहने का प्रयास करें । मेरे कहने का आशय है कि आप माननीय सदस्य यह विचार करें कि सदन का निर्बाध संचालन कैसे हो? सदन में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसे हो? चर्चा के उपरान्त हमने जो निष्कर्ष प्राप्त किया उसका क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? क्योंकि संसदीय सदन की सार्थकता उपरोक्त बिन्दुओं पर ही निर्भर करती है ।

आप माननीय पक्ष के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि प्रतिपक्ष के किसी विषय पर आक्षेप अथवा आरोप को आप व्यक्तिगत तौर पर न लें बल्कि आपका यह प्रयास हो कि प्रतिपक्ष को अपनी बातों से आप किस हद तक संतुष्ट कर पाते हैं। प्रतिपक्ष की संतुष्टि ही पक्ष के सदस्यों की सफलता कहलाती है। वहीं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से इस अवसर पर मेरा आग्रह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज करने की जो मान्य प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत ही विरोध प्रकट करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिपक्ष के अवरोध से अगर सदन की चर्चा बाधित होती है तो मेरे विचार से अवरोध को समाप्त करने की दिशा में आपकी सकारात्मक पहल ही प्रतिपक्ष का सम्मान संवर्धित करती है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को चाहिए कि आप सरकार को मुद्दों पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए बाध्य करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी बात पर किसी सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्धारण सुनिश्चित होता है । मैं समझता हूँ आप सभी माननीय सदस्य मेरे इस मत से सहमत होंगे। कठिनतम परिस्थितियों में संसदीय सदन का निर्बाध संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने की प्रथम आवश्यकता है जो आप समस्त माननीय सदस्यों के सहयोग से ही संभव है।

मैंने पूर्व सत्र में भी आप माननीय सदस्यों से यह आग्रह किया था कि आप सब अपनी क्षमताओं की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। विषय विशेष पर प्रमाणित जानकारियों के साथ सार्थक चर्चा का लाभ न केवल आप सबको अपितु आपके क्षेत्र एवं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आपके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे आप सभी माननीय सदस्य कृत–संकल्पित नज़र आये। इस सत्र में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश की आम जनता से जुड़े लगभग सभी मामले स्थगन, ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से इस सदन में उठाए। नक्सलवाद की समस्या, धान खरीदी में अनियमितता, पर्यावरण प्रदूषण, सहित अनेक लोक महत्वों के विषयों पर विभिन्न माध्यमों से सार्थक चर्चा हुई। अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित विधिक कार्यों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा।

इस सत्र के कुल 8 दिवसों में लगभग 29 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई। 8 बैठकों में 68 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 8.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 661 तारांकित प्रश्न एवं 411 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1072 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 368 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 123 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में कुल

116 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई। शून्यकाल की 112 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 71 सूचनाएं ग्राह्य और 41 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 149 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 69 ग्राह्य व 80 अग्राह्य रही। 26 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें 7 संकल्प ग्राह्य हुए तथा 2 संकल्प चर्चा उपरांत स्वीकृत हुए एवं एक अस्वीकृत हुआ। इस सत्र में 5 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 5 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 5 पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 57 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के 28 जनप्रतिनिधि एवं 228 छात्र/छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर विशेष रूप से मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे जी एवं आप माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने सदन के व्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सकारात्मक सहयोग दिया।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने अपने गुरूत्तर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परंपरा रही है तद्नुसार आगामी सत्र दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद! जय हिन्द! जय छत्तीसगढ़!

डॉ. रमन सिंह (मुख्यमंत्री), श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष) एवं श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

10. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 2.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा